07-11-2022

अधि० प्रार्थी उप० / पत्रावली का अवलोकन किया गया / प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा ऋणी व गारंटर (जमानतदार) को ही धारा 13(2) का नोटिस जारी किया गया / जबकि सरफेशी एक्ट, 2002 के नियम 3 के पेरा सं. 04 में स्पष्ट उल्लेखित है कि जहाँ एक से अधिक ऋणी हो, तो मांग की सूचना की तामील प्रत्येक ऋणी को की जावेगी / ऋणी व जमानतदार को जारी धारा 13(2) के नोटिस की रसीद व डिलेवरी रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नोटिस की डिलेवरी किसे हुई है और किसका नोटिस अपूर्ण पते की वजह से लौटाया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी / बैंक द्वारा सहऋणी को धारा 13(2) का नोटिस जारी नहीं करने तथा नोटिस की विधिवत / स्पष्ट तामील नहीं होने से उक्त प्रकरण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
राजसमन्द